न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी— कमर चौधरी
आई0ए0एस0

प्रा0 पत्र सं0 04/2021 आवंटन नियम 14(4)

फैलीराम पुत्र चन्दर जाति मीना निवासी ग्राम कालीखाड ढाणी कूकलवाल तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा राज0

..प्रार्थी

बनाम

1. रतनलाल पुत्र गंगाधर जाति मीना निवासी ग्राम कालीखाड तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा राज0
2. अध्यक्ष, आवंटन सलाहकार समिति (उपखंड अधिकारी) दौसा जिला दौसा
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा

..अप्रार्थीगण

याचिका अंतर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम वास्ते निरस्त करने आवंटन अप्रार्थी संख्या 01 दिनांक 21.6.1992

उपस्थित—1. श्री रामलाल गोठवाल, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री नगेन्द्र मीना, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से
3. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक: 17.08.2022

संक्षिप्त वृतांत प्रा0 पत्र 14 (4) इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 21.6.1992 को चक कालीखाड तहसील नांगल राजावतान के खसरा नंबर 82 व 102 रकबा 0.49है. भूमि का आवंटन अप्रार्थी संख्या 01 को कर दिया। प्रार्थी द्वारा इसी आवंटन आदेश से व्यथित होकर यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 (4) भू–आवंटन नियम–1970 के तहत प्रस्तुत किया गया।

प्रा0 पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 को ग्राम चक कालीखाड तहसील नांगल राजावतान स्थित भूमि खसरा नंबर 82 रकबा 0.30है0, खसरा नंबर 102 रकबा 0.19है. कुल किता 2 रकबा 0.49है. भूमि का दिनांक 21.6.1992 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन किया गया है। आवंटित की गई भूमि पर आज दिनांक तक व उससे पूर्व अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा नहीं रहा है। आवंटन की कार्यवाही केवल दिखावटी व कागजी है। अप्रार्थी संख्या 1 को भूमि आवंटन के पश्चात भी भूमि का कोई कब्जा नहीं दिया गया है। आवंटन नियम 1970 में यह प्रावधान है कि आवंटी को भूमि आवंटन होने के प्रथम वर्ष में आवंटित भूमि के आधे भू–भाग पर एवं द्वितीय व[...] करना आवश्यक है, अन्यथा आवंटन स्वतः रद्द माना जावेगा। हालांकि उ[...] नि[...] को संशोधित कर दिया गया है फिर भी यह प्रावधान तो है कि [...] आवंटित भूमि पर कोई काश्त नहीं की गई तो आवंटन निरस्त [...] भूमि को [...] 29 वर्ष हो गये परन्तु अभी तक भी अप्रार्थी सं. 1 ने कोई [...]श्त नहीं की गई है [...] आज भी गैर खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। खसरा नंबर 102 पर प्रार्थी का बजमाने बुजुर्गान के समय से कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी अपने बुजुर्गान के समय से पीढी दर पीढी उक्त आराजी पर काश्त कर लाभांवित होते चले आ रहे है। अप्रार्थी सं0 1 का आवंटित की

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:51:52 IST
Reason: SelfAttested

......निरंतर 2 पर

गई भूमि पर कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है ना ही वर्तमान में कब्जा काश्त है। प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि के भू भाग का अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में किया गया आवंटन सरासर अवैध एवं निरस्तनीय है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त यह है कि आवंटन केवल खाली भूमि का ही किया जा सकता है। अगर भूमि पर किसी अतिक्रमी का कब्जा है तो उस भूमि का आवंटन किसी अन्य को नहीं किया जा सकता है। आवंटन नियम 1970 के नियम 20 में स्पष्ट प्रावधान कर दिया गया है कि ऐसी भूमि का आवंटन काबिज व्यक्ति के पक्ष में ही किया जावे। अप्रार्थी संख्या 01 व उसके परिवार के लोगों के पास काफी खातेदारी भूमि है, जबकि प्रार्थी भूमिहीन व आवंटन का पात्र है। इसलिए कब्जे के आधार पर भी प्रार्थी के पक्ष में ही आवंटन किया जाना चाहिए था, जिसका प्रमाण यह है कि खसरा परिवर्तनशील में प्रार्थी के पिता चन्दर का नाम दर्ज है जो भी प्रार्थी के कब्जे काश्त का अहम सबूत है। अप्रार्थी सं.1 द्वारा आवंटन हेतु जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया है उसमें न तो स्वयं की खातेदारी भूमि का विवरण अंकित किया गया है और ना ही अपने परिवार की खातेदारी भूमि का विवरण अंकित किया है। पटवारी हल्का ने इस आशय की रिपोर्ट दी है कि अप्रार्थी संख्या 01 भूमिहीन, बालिग एवं इसी पंचायत का है, परन्तु पटवारी की रिपोर्ट पर विधिवत विचार किये बिना ही आवंटन कर सरासर कानूनी गलती की है। आवंटन अधिकारी का यह दायित्व है कि यदि कमेटी के सदस्य, सरपंच आदि किसी को आवंटन करने की गलत सिफारिश कर दे तो उस सिफारिश मात्र के आधार पर आवंटन नहीं कर दिया जाना चाहिए। आवंटन अधिकारी को जांच करना आवश्यक है कि वह प्रार्थी आवंटन का पात्र भी है या नहीं, परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में ऐसी जांच किये बगैर ही विधि विरूद्ध स्वीकृत दे दी गई, तथा आवंटन कमेटी की सिफारिश पर केवल मात्र सरपंच/प्रशासक के ही हस्ताक्षर है, अध्यक्ष आवंटन सलाहकार समिति उपखंड अधिकारी व सदस्य पंचायत समिति के कोई हस्ताक्षर नहीं है। भूमि की किस्म आवंटन से पूर्व गै0मु0नदी की थी जो कि अब्दुल रहमान बनाम सरकार से भी प्रतिबंधित भूमि है। आवंटन की समस्त कार्यवाही नियमों के विरूद्ध की गई है। न तो आवंटन के संबंध में कोई सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की गई और ना ही आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु कोई इश्तेहार जारी किया गया है और ना ही कोई विधिवत जांच की गई है। प्रार्थी उक्त आराजी पर निर्बाध रूप से बजमाने बुजुर्गान के समय से पीढी दर पीढी कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी के कब्जे काश्त में अप्रार्थी संख्या 01 अथवा उसके परिवारजन ने कभी कोई दखलंदाजी नहीं की गई किन्तु अब अप्रार्थी सं01 व उसके परिवारजन प्रार्थी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न कर रहे है। दिनांक 4.7.2021 को प्रार्थी अपनी भूमि पर था तो अप्रार्थी सं01 व उसके परिवार के लोगों ने प्रार्थी से झगडा किया तथा ऐलानिया कहा कि वे प्रार्थी को भूमि में काश्त नहीं करने देंगे व प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखल दिया जिस पर प्रार्थी ने दिनांक 5.7.2021 को एक प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक दौसा के समक्ष भी प्रस्तुत किया है। प्रार्थी को उक्त आवंटन की पूर्व में जानकारी नहीं थी। अप्रार्थी सं[illegible] काश्त में बाधा उत्पन्न किये जाने पर व अप्रार्थी सं01 द्वारा उक्त भूमि का [illegible] सके नाम होने की खुली धमकी दिये जाने पर प्रार्थी ने राजस्व रि[illegible] कर नकल लेने पर आवंटन की जानकारी हुई। जिस पर जा[illegible] त्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अवैध आवंटन को निरस्त क[illegible] त्र प्रस्तुत करने की कोई मियाद निर्धारित नहीं है व आवंटन कभी भी निरस्त किया जा सकता है। किन्तु फिर भी यदि उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने में देरी मानी जावे तो धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत देरी क्षमा किये जाने योग्य है, जिसका प्रार्थना पत्र पृथक से संलग्न कर निवेदन है कि अप्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:51:52 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

......निरंतर 3 पर

संख्या 01 के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 21.6.1992 निरस्त फरमाया जावे तथा उक्त भूमि का आवंटन प्रार्थी के पक्ष में किये जाने के आदेश पारित फरमाये जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 की बहस में दलील है कि आवंटन सलाहकार समिति कैंप थूमडी में दिनांक 21.6.1992 को अप्रार्थी रतनलाल पुत्र गंगाधर मीना निवासी कालीखाड को ग्राम चक कालीखाड स्थित आराजी खसरा नंबर 82 रकबा 0.30है0, खसरा नंबर 102 रकबा 0.19है. कुल किता 2 रकबा 0.49है का आवंटन यिा गया था। अप्रार्थी सं01 कजोड द्वारा भूमि आवंटन कराने हेतु नियमानुसार प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिसमें ग्राम चक कालीखाड स्थित खसरा नंबर 82 व 102 का आवंटन चाहा गया था। आवंटन के समय अप्रार्थी रतनलाल के हिस्से में 0.92है. भूमि स्थित थी। इस प्रकार आवंटी भूमिहीन की श्रेणी में था एवं बालिग तथा उसी ग्राम पंचायत का निवासी था जो कि पटवारी की रिपोर्ट से प्रमाणित होता है। उल्लेखनीय तथ्य यह भी है कि ग्राम चक कालीखाड के आवंटन किये गये खसरा नंबरान की भूमि को पटवारी हल्का द्वारा अतिक्रमण से मुक्त बताया गया है अतः प्रार्थी का यह कथन गलत है कि आवंटित की गई भूमि पर प्रार्थी का ज़माने बुजुर्गान कब्जा काश्त रहा है। प्रार्थी के अनुसार प्रश्नगत भूमि जिसका आवंटन किया गया है जिसकी किस्म सिवायचक गै0मु0नदी थी, सिवाय चक भूमि थी जिसका आवंटन सलाहकार समिति कैंप थूमडी में कोरम में भूमि आवंटित की गई थी। अप्रार्थी रतनलाल द्वारा आवंटित भूमि पर आवंटन के बाद से ही निरंतर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी रतनलाल द्वारा आवंटन शर्तों की पालना की गई है। अप्रार्थी सं. 1 को दिनांक 25.7.1992 को पटवारी हल्का थूमडी द्वारा ग्राम के मौजिज व्यक्तियों की उपस्थिति में कब्जा संभलाया गया है। प्रार्थी का प्रश्नगत भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 को निरस्त फरमाया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आवंटन नियम 14(4) भूमि आवंटन के अत्यधिक विलंब से लगभग अर्थात भूमि आवंटन के लगभग 29 वर्ष बाद पेश किया गया है। साथ ही प्रार्थना पत्र अत्यधिक विलंब से पेश किये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण भी नहीं बताया गया है। प्रार्थी का यदि प्रश्नगत भूमि पर कब्जा होता तो तत्समय अर्थात भूमि आवंटन के तत्काल बाद उक्त आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जाता। प्रश्नगत भूमि पर प्रार्थी का कब्जा होने का भी कोई सबूत पेश नहीं किया गया है। अप्रार्थी रतनलाल द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना की गई है। भूमि आवंटन के बाद पटवारी हल्का थूमडी द्वारा अप्रार्थी को दो व्यक्तियों की उपस्थिति में आवंटित भूमि का कब्जा संभलाया गया है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को परेशान करने की नीयत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 21.6.1992 को सिवायचक भूमि का आवंटन किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर [illegible] या गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलो[illegible] सलाहकार समिति कैंप कालीखड स्थित सिवायचक [illegible] 97, 100 व 102 रकबा 0.80है. भूमि आवंटित की गई है। भूमि राज[illegible]दारी में दर्ज है। प्रार्थी द्वारा उक्त आवंटन के 29 वर्ष बाद आवंटन निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 पेश किया गया है। पूर्व में तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा द्वारा अप्रार्थी सं0 1 को थूमडी में अप्रार्थी सं01 रतन लाल गंगाधर मीना निवासी कालीखाड को ग्राम चक

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:51:52 IST
Reason: SelfAttested

......निरंतर 4 पर

संख्या 299/2005 उनवानी राजस्थान सरकार बनाम रतनलाल पेश किया गया था। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा दिनांक 9.9.2011 को निर्णय पारित किया गया जिसमें तहसीलदार दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 को खारिज किया जा चुका है। अप्रार्थी रतनलाल के नाम आवंटन से पूर्व मात्र 0.92है. भूमि दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी रतन लाल के नाम काफी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी, और अप्रार्थी रतनलाल भूमिहीन नही था, जो गलत है। अधिवक्ता प्रार्थी इस तथ्य को साबित नहीं कर पाये कि अप्रार्थी रतनलाल भूमि आवंटन होने के समय भूमिहीन नहीं था। अप्रार्थी रतनलाल को पटवार हल्का थूमडी द्वारा ग्राम के दो व्यक्तियो के समक्ष आवंटित भूमि का कब्जा संभलाया गया था। उक्त आवंटित भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त रहा हो ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। आवंटन सलाहकार समिति कैंप थूमडी द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 21.6.1992 के द्वारा कोरम में ग्राम चक कालीखड स्थित सिवायचक भूमि खसरा नंबर 82, व 102 रकबा 0.49 है. भूमि आवंटित की गई है। अधिवक्ता प्रार्थी इस तथ्य को भी साबित करने में भी असफल रहे कि आवंटित की गई भूमि गै0मु0 नदी की भूमि थी जो अब्दुल रहमान बनाम सरकार में प्रतिबंधित भूमि है। इसके अतिरिक्त पत्रावली में ऐसा कोई प्रमाण या दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अप्रार्थी रतनलाल द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की गई है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का कोई उचित आधार प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970 खारिज किया जाता है। आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 21.6.1992 के द्वारा ग्राम चक कालीखड स्थित आराजी खसरा नंबर 82 व 102 रकबा 0.49है. का अप्रार्थी संख्या 01 रतनलाल पुत्र गंगाधर मीना के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 17 अगस्त 2022 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:51:52 IST
Reason: SelfAttested